

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र व्यायाधीश, दतिया (मध्यप्रदेश)

-:: आदेश ::-

क्रमांक :- ५४२६/दो-१६-१/१०

दतिया, दिनांक :- २५/०८/२०२४

प्रशासनिक कार्य व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अग्रलिखित तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/कर्मचारीगण का स्थानांतरण एवं पदस्थापना पूर्णतः अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पद	कहाँ से	कहाँ को	ठिप्पणी
01	श्री सर्वेश अहिरवार, सहायक ग्रेड-३	श्री वेदांत दीक्षित, प्रशिक्षु व्यायाधीश दतिया	संबद्ध लिपिक, मुख्य व्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया	संबद्ध लिपिक / साक्ष्य लेखक
02	श्री अमजद खांन, सहायक ग्रेड-३	श्री प्रवेश काबरा, प्रशिक्षु व्यायाधीश दतिया	व्यायालय- 1. श्री वेदांत दीक्षित 2. श्री प्रवेश काबरा 3. सुश्री श्रीति अतुलकर	श्री अमजद खांन, तीर्ने प्रशिक्षु व्यायाधीशगण के व्यायालय का कार्य संपादित करेंगे।
03	श्री गौरव दुबे, सहायक ग्रेड-३	साक्ष्य लेखक, प्रथम व्यवहार व्यायाधीश कनिष्ठ चाष्ट सेंवढ़ा	दायरा लिपिक, दायरा काउन्टर, दतिया	श्री राहुल चौरसिया के स्थान पर
04	श्री राहुल चौरसिया, सहायक ग्रेड-३	दायरा लिपिक, दायरा काउन्टर दतिया	साक्ष्य लेखक, श्री विश्वनाथ शर्मा प्रथम जिला एवं अति. सत्र व्याया. सेंवढ़ा	रिक्त पद पर
05	श्रीमती आरथा गुप्ता, सहायक ग्रेड-३	अंतमंडलीय स्थानांतरण पर उपस्थित	संबद्ध लिपिक, प्रतिलिपि अनुभाग दतिया	-
06	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक ग्रेड-३	अंतमंडलीय स्थानांतरण पर उपस्थित	संबद्ध लिपिक, श्री मनीष पाण्डेय, प्र.व्यव.व्याया. के द्वि. अति. व्याया. दतिया	श्री नीरज बिगम के अवकाश काल में, उनके उपस्थित होने तक।

प्रधान जिला एवं सत्र व्यायाधीश,
दतिया (म.प्र.)

दतिया, दिनांक :- २५/०८/२०२४

पृ. क्रमांक : १८९०/दो-१६-१/१०

प्रतिलिपि :-

01. श्री विश्वनाथ शर्मा प्रथम जिला एवं अति. सत्र व्याया. सेंवढ़ा
02. मुख्य व्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया।
03. श्री मनीष पाण्डेय, प्र.व्यव.व्याया. दतिया के द्वि. अति. व्याया. दतिया
04. प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि अनुभाग दतिया।
05. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर/दायरा अनुभाग दतिया।
06. श्री वेदांत दीक्षित, प्रशिक्षु व्यायाधीश दतिया।
07. श्री प्रवेश काबरा, प्रशिक्षु व्यायाधीश दतिया।
08. सुश्री श्रीति अतुलकर प्रशिक्षु व्यायाधीश दतिया।
09. लेखापाल/वेतन लिपिक कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र व्यायाधीश दतिया।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. संबंधित कर्मचारी श्री/मु/श्रीमती.....
की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित है, कि वे तत्काल अनिवार्य रूप से नवीन पदस्थापना का कार्यभार ग्रहण कर तत्संबंधी उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

प्रधान जिला एवं सत्र व्यायाधीश,
दतिया (म.प्र.)

२५/०८/२४